

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग**

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) राँची -05/13

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 1909 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी० के अन्तर्गत सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल धुर्वा स्थित याँत्रिक कर्मशाला परिसर में बेकार कण्डम एवं अन्य अनुपयोगी सामग्रियों का मूल्यांकन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि याँत्रिक प्रमण्डल राँची के नियंत्रणाधीन अनुपयोगी तथा बेकार सामग्रियों की मात्रा एवं दर का मूल्यांकन न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हुए निलामी की सूचना निकाली गई जिसके आलोक में रु० 16.14 लाख की अधिकतम बोली प्राप्त हुई। इसी क्रम के संदर्भित विषय में परिवाद प्राप्त होने के पश्चात समीक्षो परान्त उक्त निलामी की निविदा को रद्द करते हुए पुनः सामग्रियों का मूल्यांकन करवाया गया, जिसका मूल्य रु० 41,23,712/-रुपये निर्धारित किया गया एवं इसके निलामी पर रु० 42,05,000/-रुपये की राशि प्राप्त हुई। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्रियों का मूल्यांकन एवं दर निर्धारण गलत मंशा से न्यूनतम दर पर किया गया। यदि विभाग गंभीर नहीं होता तो सरकारी राजकोष में काफी क्षति होता। इस प्रकार उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सुधीर कुमार के विरुद्ध पेंशन से 10% की कटौती के प्रस्तावित दण्ड के लिए विभागीय पत्रांक 4554 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई थी।

श्री सुधीर कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई तथ्यों का जिक्र नहीं है।

अतः श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया -

(i) पेंशन राशि से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती।

अतएव एतद् द्वारा सरकार का उपर्युक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

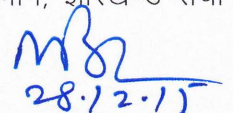
सरकार के उप सचिव (नि०)

ज्ञापांक -

6348

राँची, दिनांक - 28-12-15

प्रतिलिपि - महालेखाकार(ले० एवं हक०) झारखण्ड राँची/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल जल संसाधन विभाग धुर्वा, राँची/श्री सुधीर कुमार तत्कालीन सहायक अभियंता, प्लैट न०-203, दौलत अपार्टमेन्ट, डा० जे० शरण लेन, बरियातू राँची-834009/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव (नि०)